न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/33/2025	2025/308	24.07.2025	26.12.2025

1. सोनू कुमार पुत्र स्व. राधेलाल पोत्र नन्नू,
2. कन्हैया लाल कोली पुत्र स्व. राधेलाल पोत्र नन्नू,
3. गुलाब देवी पत्नी स्व. राधेलाल पुत्रवधू नन्नू,
   समस्त जातियान कोली, निवासीयान ग्राम टिटपुरी तहसील कठूमर जिला अलवर (राज0)।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार कठूमर, जिला अलवर राज०।

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार कठूमर दिनांक 27.12.2004 इंतकाल संख्या 1198 वाके ग्राम टिटपुरी तह0 कठूमर जिला अलवर राज0।

उपस्थितः–

01–श्री दलेर सिंह –वकील अपी0

02–श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक –वकील रेस्पो0

–:निर्णय:–

यह अपील अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कठूमर द्वारा ग्राम टिटपुरी के नामांतकरण संख्या 1198 दिनांक 27.12.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया।

वकील अपीलाण्ट्स द्वारा दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि उपरोक्त नामांतकरण कैम्प कोर्ट टिटपुरी में दिनांक 27–12–2004 को अपीलान्टान के पीछे से बालाबाला पारित किया गया है जिसकी जानकारी अपीलान्टान को दिनांक 03–07–2025 को हुई जबकि अपीलान्टान ने राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त की तब हुई जिसपर उक्त नाम की दुरूस्ती कराने हेतु दिनांक 07–07–2025 को कैम्प में प्रार्थना पत्र दिया लेकिन दुरूस्ती नही की और मौखिक रूप से मौजूदा अपील पेश करने की सलाह दी। इस प्रकार यह अपील जानकारी की दिनांक 03–07–2025 से अंदर मियाद पेश है। आज्ञा दिनांक 27–12–2004 से जानकारी की दिनांक 03–07–2025 तक का समय धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत माफ किया जाना आवश्यक है जिस हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश है।

मिन अपीलान्टान के पिता/पति का नाम राधेलाल है जिनकी मृत्यु दिनांक 24–12–1998 को हो गई। अपीलान्टान के दादा/ससुर नन्नू के कब्जे काश्ते खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 602 व 603 वाके ग्राम टिटापुरी तहसील कठूमर में स्थित है तथा मिन अपीलान्टान के दादा/ससुर नन्नू के स्वर्गवास दिनांक 01–01–2024 को हो जाने पर उनकी विरासत का नामांतकरण संख्या 1198 दिनांक 27–12–2004 को कोर्ट कैम्प टिटपुरी में स्वीकार किया गया है। उक्त नामांतकरण सीधे ही अपीलान्टान के नाम स्वीकार किया गया है। चूँकि नन्नू के एक मात्र पुत्र राधेलाल था जिनकी मृत्यु नन्नू से पूर्व हो गई थी।

उक्त नामांतकरण में अपीलान्टान के पिता/पति राधेलाल के स्थान पर सहबन से नन्नू अंकित कर दिया जबकि नन्नू मिन अपीलान्टान के पिता/पति नही है। मिन अपीलान्टान के पति व पिता राधेलाल है। इसी प्रकार अपीलान्ट संख्या 3 का सही व

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

वास्तविक नाम गुलाबदेवी है लेकिन उक्त नामांतकरण में मिन अपीलान्ट का गुल्ला अंकित कर दिया गया है। उक्त इंतकाल स्वीकार करने से पूर्व मिन अपीलान्ट को कोई जानकारी नही दी चूँकि अपीलान्टान ग्रामीण है और कैम्प कोर्ट में उपस्थित नही थे तथा उक्त इंतकाल दर्ज व स्वीकार मिन अपीलान्टान के पीछे से किया गया है। ऐसी स्थिति में मिन अपीलान्टान के नाम इंतकाल स्वीकृत नामांतकरण के आधार पर उसका अमल अपीलाधीन आराजी के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी वगैरा में किया गया है, इसलिए उपरोक्त इंतकाल दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। जिससे यह अपील पेश करना लाजिम आया है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार कठूमर जिला अलवर द्वारा राधेलाल की विरासत इंतकाल संख्या 1198 दिनांक 27–12–2004 वाके ग्राम टिटपुरी तहसील कठूमर संशोधित कराया जाकर इंतकाल में अपीलान्टान का सही एवं वास्तविक नाम मुताबिक संलग्न दस्तावेज संशोधित कराया जावे।

अपी0 द्वारा अपने समर्थन में सरपंच, ग्राम पंचायत टिटपुरी, पं.स. कठूमर (अलवर) द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार नन्नूराम पुत्र भौरेलाल जाति कोली निवासी टिटपुरी, ग्राम पंचायत टिटपुरी, पंचायत समिति कठूमर का रहने वाला था, की मृत्यु हो चुकी है। इसका पुत्र राधेलाल की मृत्यु नन्नूराम से पूर्व हो गयी थी। इसका विरासत इंतकाल इसके पुत्र राधेलाल के नाम न चढकर सीधे अपने पौत्रान सोनू कुमार व कन्हैया लाल व पुत्र वधू गुलाब के नाम चढ गया जो विरासत इंतकाल में चढा है। वह गुल्ला नहीं बल्कि गुलाब नाम शुद्ध है। उपरोक्त तीनों राधेलाल कोली के पुत्रान व पत्नी है। नन्नूलाल इनका (सोनू कुमार व कन्हैयालाल) दादा व गुलाब का रिश्ते में ससुर था। मैं इन्हें जानता हूं एवं ये मेरी ग्राम पंचायत के बाशिन्दे हैं।

अपीलार्थी ने धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि उक्त नामांतकरण अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में बालाबाला तस्दीक हुआ, जिसकी जानकारी उन्हें दिनांक 03.07.2025 को नकल प्राप्त करने पर हुई। चूंकि यह मामला भूमि के अधिकारों और प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन से जुड़ा है, इसलिए न्याय हित में देरी को क्षमा किया जाना उचित प्रतीत होता है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने मुख्य तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थीगण के दादा/ससुर श्री नन्नू का स्वर्गवास होने पर उनकी विरासत का नामांतकरण संख्या 1198 दिनांक 27.12.2004 को कैंप कोर्ट टिटपुरी में तस्दीक किया गया था। चूंकि नन्नू के एकमात्र पुत्र राधेलाल (अपीलार्थीगण 1 व 2 के पिता एवं अपीलार्थी 3 के पति) की मृत्यु नन्नू से पूर्व दिनांक 24.12.1998 को हो चुकी थी, अतः विरासत सीधे पौत्रों और पुत्रवधू को मिलनी थी। विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि उक्त नामांतकरण में लिपिकीय त्रुटिवश अपीलार्थीगण के पिता/पति के स्थान पर 'राधेलाल' के बजाय 'नन्नू' (दादा) का नाम अंकित कर दिया गया है, जो कि गलत है। इसी प्रकार अपीलार्थी संख्या 3 का वास्तविक नाम 'गुलाब देवी' है, जिसे त्रुटिवश 'गुल्ला' अंकित किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा अपने समर्थन में सरपंच ग्राम पंचायत टिटपुरी का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें अपीलार्थीगण के पिता का नाम राधेलाल एवं माता/अपीलार्थी नं. 3 का नाम गुलाब देवी अंकित है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
26/12/25
अलवर (राज0)

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, विशेषकर सरपंच ग्राम पंचायत टिटपुरी के प्रमाण पत्र एवं पहचान दस्तावेजों (आधार कार्ड/राशन कार्ड) से यह स्पष्ट है कि मृतक नन्नू के पुत्र राधेलाल की मृत्यु नन्नू से पूर्व हो चुकी थी। अतः नियमानुसार विरासत उनके पौत्रों और विधवा पुत्रवधू को प्राप्त हुई। परंतु, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक शुदा इंतकाल संख्या 1198 में सोनू कुमार व कन्हैया लाल के पिता के स्थान पर 'नन्नू' अंकित है, जबकि वे नन्नू के पौत्र हैं और उनके पिता 'राधेलाल' हैं। इसी प्रकार 'गुल्ला' नाम त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है, जबकि सही नाम 'गुलाब देवी' है। यह एक स्पष्ट लिपिकीय और तथ्यात्मक त्रुटि है जिसे सुधारा जाना न्यायोचित है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का नामांतकरण आदेश संशोधन योग्य है एवं अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27.12.2004 इंतकाल संख्या 1198 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कठूमर को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता/पति का सही नाम नियमानुसार जांच कर संशोधित इंतकाल दर्ज करने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)